

Order Sheet

Case No BA 551/17 अर्क

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
30/11/17	<p>आवेदक/आरोपी <u>विजय उर्फ अर्क</u> की ओर से श्री <u>सुवेद्य निरमल एड</u> अधिवक्ता ने एक जमानत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 438/439 जा0फौ0 का पेश किया।</p> <p>नकल संबंधित थाना प्रभारी की ओर भेजकर केश डायरी मय प्रतिवेदन बुलाया जाये/संबंधित अभिलेख बुलाया जावे।</p> <p>आवेदन विविध आपराधिक पंजी में दर्ज किया जावे। प्रकरण केश डायरी प्रतिवेदन/अभिलेख प्राप्ति/तर्क हेतु दिनांक 21/11 को पेश हो।</p> <p>द्वितीय अपर न्यायाधीश गोहद, जिला-मिण्ड (मप्र)</p>	<p>अर्क</p> <p>21/11</p>
<p>02/02/17</p> <p>12:30</p> <p>10</p> <p>12:45 P.M</p>	<p>आरोपी/अपीलार्थी <u>विजय उर्फ पप्पू</u> द्वारा श्री राकेश भट्टेले अधिवक्ता राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी.। अधीनस्थ न्यायालय का मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक-62/2014 ई0फौ0 प्राप्त। प्रकरण आरोपी/अपीलार्थी <u>विजय उर्फ पप्पू</u> के जमानत आवेदनपत्र पर तर्क हेतु नियत है। अतः धारा-439 द.प्र.सं. के नियमित आवेदनपत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आरोपी/आवेदक के प्रथम नियमित आवेदनपत्र होने तथा अन्य किसी न्यायालय में कोई आवेदनपत्र पेश ना करने और विचाराधीन व निरस्त ना होने बाबत संजय शर्मा का शपथपत्र पेश किया गया है, जिसपर कोई</p>	<p>अर्क</p> <p>21/11</p>

आपत्ति नहीं आयी है। इसलिये आरोपी/आवेदक के प्रथम नियमित आवेदनपत्र मानते हुए उसका निराकरण किया जा रहा है।

आरोपी/अपीलार्थी विजय उर्फ पप्पू का कहना है कि वह वार्ड नंबर-4 का स्थाई निवासी होकर शांतिप्रिय व्यक्ति है। दि०-04/06/2016 को बीमार होने के कारण अनुपस्थित हो गया था इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने जमानत मुचलका जब्त कर गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया जिसपर से उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वह भविष्य में कीर्ति गैर हाजिर नहीं रहेगा दि०-13/07/2015 को बीमार हो गया था, इसलिये उपस्थित नहीं हो सका था। इसलिये आवेदनपत्र स्वीकार कर उचित जमानत मुचलके पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

जबकि ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी/अपीलार्थी विजय उर्फ पप्पू द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है मामला घर में घुसकर सामान चोरी का है। अतः उसका जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

संलग्न मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे विदित होता है कि थाना गोहद के अप.क. 62/2014 धारा-380, 457, 379 भादवि. के अपराध के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है।

श्री पंकज शर्मा, जे.एम.एफ.सी. गोहद के मूल अभिलेख का अवलोकन करने पर यह प्रकट हो रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दि०-07/05/2015 को आरोपीगण भोला उर्फ रोहित एवं आरोपी/अपीलार्थी विजय उर्फ पप्पू पर धारा-457, 380, 379 (03 काउन्ट) भादवि. के तहत आरोप विरचित किया गया और प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु 04/06/2015 को नियत किया गया। उक्त दि०-04/06/2015 को आरोपी/अपीलार्थी विजय उर्फ पप्पू के अनुपस्थित रहने से उसके जमानत मुचलके निरस्त किए गये और गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया। और करीब 13 पेशियों पर आरोपी/अपीलार्थी विजय उर्फ पप्पू का गिरफ्तारी वारण्ट लगातार किया गया, किन्तु आरोपी/अपीलार्थी विजय उर्फ पप्पू अनुपस्थित रहा, और दिनांक-20/01/2017 को थाना गोहद पुलिस ने उक्त गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में आरोपी/अपीलार्थी विजय

पी.के.ओ.
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला-मिर्जापुर (म.प्र.)

Order Sheet [Contd]

Case No. BA-551 of 2017 मुम्बई

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर पेश किया, जिसका उसी दिनांक को जेल वारण्ट बनाया जाकर उपजेल गोहद भेजा गया। आरोपी/अपीलार्थी विजय उर्फ पप्पू के करीब 01 वर्ष 07 माह अनुपस्थित रहा है और उसे पुलिस द्वारा पकड़कर लाया गया है। अर्थात् उसने स्वयं भी न्यायालय में समर्पण नहीं किया है। उसकी अनुपस्थिति के कारण प्रकरण की कार्यवाही निश्चित रूप से बिलवित हुई है। अभी महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य भी नहीं हुई है, इसलिये आरोपी/अपीलार्थी विजय उर्फ पप्पू के जमानत पर रिहा किए जाने पर उनको प्रभावित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आरोपी/अपीलार्थी विजय उर्फ पप्पू की अनुपस्थिति का जो आधार उसकी तबीयत खराब होने का लिया गया है, वह भी औपचारिक प्रकृति का प्रतीत होता है, क्योंकि आरोपी/अपीलार्थी विजय उर्फ पप्पू के द्वारा स्वयं की बीमारी से संबंधित कोई भी मेडीकल दस्तावेज पेश नहीं किए गये हैं। एवं वर्तमान में चोरी की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए भी आरोपी/अपीलार्थी विजय उर्फ पप्पू जमानत पाने का पात्र प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी/अपीलार्थी विजय उर्फ पप्पू की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र गुणदोषों पर टीका टिप्पणी किए बगैर निरस्त किया जाता है।</p> <p>आदेश की प्रति मूल प्रकरण के साथ भेजी जावे।</p> <p>इस प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो।</p> <p>(पी.सी. आर्य)</p> <p>द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड</p>	<p><i>Prabhu</i> 2-7-17</p>